

12/6/18

पत्रावली राजस्थान लोक अदालत कोर्ट केम्प लालासर
 कि केम्प हुई। पत्रावली का अवलोकन लोक अदालत की
 भावना से किया गया। तदनुसार कि देवराज से
 जाल रिपोर्ट के अनुसार आ. २५०० २५५ के अनुसार
 से आदिनाउ तक रिमाफ चड दर्ज रिपोर्ट है। जिस
 पर वारी का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। तथा
 वारी रूप अनियुक्तकारी है। तथा जबरन सरकारी
 ग्राह का हडपना चालना है। तथा मानस का
 उपलक्ष्य कर रहा है। अतः प्रथम मुल्तम ११५
 शारीक जोग्य है। पत्रावली का अवलोकन किया
 गया। अतः किया गया। वारी रूप प्रस्तुत ११५
 तदनुसार कि देवराज कि अधिकारी के अनुसार
 सरकारी ग्राह पर अनियुक्त होने से ११५ शारीक
 किया जाता है। पत्रावली फेसड सुमाह होना
 नामक से कर है।

12/6/18
 NAD/ लालासर
 सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक कर्मचार्य
 साँभर लोक (जयपुर)